



20/12/14
नं. 1/14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सदस्य महोदय, जबलपुर

रि. 1287-11/14

चौ. भूपेन्द्रसिंह आत्मज चौ. राजेन्द्रसिंह पटैल (कुर्मी)

निवासी-पटैल वार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर,

थाना, तहसील व जिला नरसिंहपुर

.....आवेदक

बनाम्

1. राघवसिंह आत्मज अजमेरसिंह

निवासी-घाट पिडरई, तहसील व जिला नरसिंहपुर

2. मोमबती ^{बाई} जोजे रूपसिंह, कुर्मी

निवासी-ग्राम चीलाचौन, तहसील व जिला नरसिंहपुर

3. चौ. लक्ष्मणसिंह आत्मज चौ. राजेन्द्रसिंह

निवासी-पटैल वार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुरअनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं.

आवेदक न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व)

नरसिंहपुर के अपील प्रकरण कं. 3A6 वर्ष 2013-14 श्रीमति मोमबती ^{बाई} राघव सिंह बनाम् चौ. भूपेन्द्रसिंह बगैरह में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.03.2014 से पीडित होकर यह रिवीजन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

रिवीजन के तथ्य

1. यह कि आवेदक रिवीजनकर्ता ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र फौती दुरुस्त किये जाकर नामांतरण किये जाने वावत् प्रस्तुत किया था जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है मौजा कंदेली, नं.ब. 36, प.ह.नं. 41/17, तहसील व जिला नरसिंहपुर में स्थित खसरा नम्बर 227/1, 80/1, 219, 227/63, 227/64 कुल रकवा 15.930 हे. भूमि के भूमि स्वामी चौ. भगवत सिंह आ. अजमेरसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 1287-दो/2014 निगरानी

जिला नरसिंहपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
3/12/18	<p>निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 3 अ 6/2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6-3-14 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) की धारा 50 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 6-3-14 के विरुद्ध निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर के समक्ष सुनी जाने योग्य है। तदनुसार निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य न रहने से कलेक्टर नरसिंहपुर की ओर सुनवाई/निराकरण हेतु अंतरित की जाती है।</p> <p>C.F. 28/11/19</p> <p>कलेक्टर जिला नरसिंहपुर</p>	<p>सदस्य</p>